

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 16(1)साप्र/2/2013

जयपुर दिनांक 30/9/2016

-: आदेश :-

श्री लादूराम विश्नोई, संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को राजस्थान पार्लियामेन्ट्री सैक्रेट्री (फैसिलिटी एवं कन्सेशन) नियम-1973 के नियम 2, 3 एवं 10 में देय सुविधा के परिप्रेक्ष्य में प्रावधानानुसार राजकीय आवास संख्या 18-सी, सिविल लाईन्स, जयपुर उनके निवास हेतु पद पर बने रहने तक के लिए एतद्द्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की आईडी संख्या 2861/एम/गृह/16 दिनांक 16.9.2016 के क्रम में।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार की आईडी संख्या 4933/एम/सानिवि/16 दिनांक 19.9.2016 के क्रम में।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-1, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-1, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, नगर खण्ड-1, जयपुर।
16. अधीक्षक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. प्रबन्धक, विधायक नगर (पश्चिम), जयपुर
18. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
19. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, (ग्रुप-3, 5, एवं 6) साप्रवि, जयपुर।
22. कनिष्ठ अभियन्ता, चौकी सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधायक नगर (पश्चिम), जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
23. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव